COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(1)

212

R-03-3890-I-16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनर्विलोकन

भिजाजी तनय रामसहाय निवासीग्राम पिपट तहसील राजनगर, जिला छतरपुर -- आवेदक

बनाम

एम.पी. भटनागर, Adv. 17.11.16

1- फुल्ली तनय मोहन

2- राजेन्द्र तनय गोला

निवासीगण- ग्राम पिपट, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

3- अरविन्द कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार

4- जयकरण पुत्र महेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम जमुनिया तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

-- अनावेदकगण

17.11.16

5241 17.11.16

Filed by M.P. Bhatnagar Adv.

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51, म.प्र भू राजस्वसंहिता 1959, विरूद्धन्यायालय माननीयराजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1024/1/2007 व उनमान फुल्ली बनाम भिजाजी आदि के आदेश दिनांक 5.8.2016 से दुखित होकर।

- -

माननीय न्यायालय

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन तथ्यों एव आधारो परनिम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैकि ग्राम पिपट

(27

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3890–एक/2016 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2017	आवेदकगण की ओर से श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5.8.2016 का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है – 1– किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं था अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी या 2--मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है। सदस्य	